

2023/263

दिए

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128	192/23	13/12/2023	<u>दिए</u> 27/8/24	10/1/2024

अनवान

श्री पुष्पलाल श/मन्दा जाति बलरि

श्री महवीर कुमार श/मन्मलाल धोबी

निवासी लक्ष्मीविवास तह. बिजौलिया

निवासी कल्याणगंज तह. बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेष्पोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री रामकृत धाकर

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम विजौलियां
 पुन्नालाल श/० बन्दा कनाम गहरीर कुमार श/० गहरीर
 क्रियम मुकदमा - 111-128 नम्बर 192 /2023

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुवम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

13/12/2023 प्रार्थना पत्र सीमे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी की। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 10/1/2024 को पेश हो।

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी
 विजौलियां

10/1/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 21/2/24 को वास्ते तलबी पेश हो।
[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी

21/4/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते उचित आदेश आगामी दिनांक 26/3/24 को पेश हो।

26/3/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण की बाद तामील अनुपस्थित। विपक्षी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। पत्रावली में आदेश पृष्ठक से छिन्नवाया गया, एवं खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली क्रमक शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल देकर हो।
[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी



27/3/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण बाद तामील अनुपस्थित। विपक्षी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। पत्रावली में आदेश पृष्ठक से छिन्नवाया गया, एवं खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली क्रमक शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल देकर हो।

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी
 विजौलियां विजौलियां (भोखवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 192/23

तारीख 13/12/23

पन्नालाल पुत्र नन्दा जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

01. महावीर कुमार पुत्र मदनलाल जाति धोबी उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी केसरगंज बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. नीलू कुमारी पत्नि ओमप्रकाश जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक: 27/3/24

प्रार्थना पत्र पन्नालाल पुत्र नन्दा जाति बलाई निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि ग्राम देवनगर पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 44 पर अंकित आराजी संख्या 103/1 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, आराजी संख्या 245/103 रकबा 0.8579 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 1.0198 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमा जी का खेडा को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम देवनगर पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 44 पर अंकित आराजी संख्या 103/1 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, आराजी संख्या 245/103 रकबा 0.8579 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 1.0198 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 192/23

दि. तारीख - 13/12/24
फै. ता. - 27/3/24

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 192/23 / 2023 पत्थरगढ़ी बाबत।

पन्नालाल पुत्र नन्दा जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा (राज0)प्रार्थी

बनाम

01. महावीर कुमार पुत्र मदनलाल जाति धोबी उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी केसरगंज
बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. नीलू कुमारी पत्नि ओमप्रकाश जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का
खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम देवनगर पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 44 पर अंकित आराजी संख्या 103/1 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, आराजी संख्या 245/103 रकबा 0.8579 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 1.0198 हैक्टेयर भूमिकी बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर उमा जी का खेडा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढ़ी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढ़ी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा